

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर 2014—आश्विन 7, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-पच्चीस-4.—राज्य शासन एतद्द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिला सर्तकता समिति का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ करता है:—

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | जिला कलेक्टर  | अध्यक्ष |
| 2. | जिले से चयनित समस्त अनुसूचित जाति के विधान सभा सदस्य  | सदस्य   |
| 3. | जिला पुलिस अधीक्षक  | सदस्य   |
| 4. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत  | सदस्य   |
| 5. | आयुक्त, नगर निगम अथवा<br>मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका   | सदस्य   |
| 6. | कैंटोनमेंट बोर्ड (यदि कोई हो)   | सदस्य   |
| 7. | रेल्वे का प्रतिनिधि   | सदस्य   |
| 8. | हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के<br>लिए कार्य करने वाले संगठन से संबद्ध अधिकतम चार सामाजिक<br>कार्यकर्ता, अथवा<br>कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले में निवासरत् सफाईकर्मी समुदाय<br>से संबंधित प्रतिनिधि जिनमें से 2 महिला हों. | सदस्य   |

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 9.  | जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले की वित्तीय और साख संस्थान का एक प्रतिनिधि. | सदस्य      |
| 10. | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जिला अधिकारी                                   | सदस्य सचिव |

क्रमांक 2 में यदि जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के विधान सभा सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हों ऐसी दशा में राज्य शासन द्वारा नामांकन किया जायेगा.

2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:—

1. अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों का उचित विधि से पालन सुनिश्चित करने के लिए सलाह देना या कार्यवाही प्रस्तावित करना.
2. हाथ से मैला ढोने वालों की आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की देख-रेख करना.
3. पुनर्वास के लिये पर्याप्त ऋण channelize करने की दृष्टि से सभी संबंधित एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना.
4. इस अधिनियम के तहत अपराधों के पंजीकरण, जांच और अभियोजन का अनुश्रवण करना.

3. समिति अधिनियम के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन नियमित रूप से अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सचिन्द्र राव, अवर सचिव.